

न्यायालय—श्री अभिमन्यु कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
उदाकिशुनगंज।

बिहारीगंज थाना काण्ड संख्या-83/2021

10-06-2021

दिनांक-12.04.2021 से काराधीन प्राथमिकी अभियुक्त ज्ञानी उर्फ ज्ञानशरण की ओर से ई-फाइलिंग के माध्यम से नवीन शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया।

वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण v.c के माध्यम से सुनवाई हेतु अभिलेख प्रस्तुत किया गया।

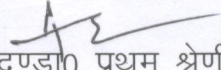
जमानत के बिन्दु पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्त निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधिश मधेपुरा एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना में नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है और ना ही सुनवाई हेतु लंबित है। प्रार्थी को ग्रामीण राजनिति एवं गंटबंदी के कारण प्रस्तुत वाद में झुठा फसाया गया है। आवेदक के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थी के विरुद्ध धारा-414 भा0 द0 वि0 का आरोप नहीं बनता है। जप्ति सूची के दोनो गवाह आवेदक के विरोधी हैं। आवेदक दिनांक 12.04.2021 से न्यायिक अभियरक्षा में हैं। सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान सहायक लोक पदाधिकारी के द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा-414 के अंतर्गत प्राथमिकि दर्ज है। जो अजमानतीय प्रकृति का है। प्रार्थी अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। आवेदक अभियुक्त के पास से मोटर साईकिल बरामद किया गया है। काण्ड अनुसंधान के कम में है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं आरोप की गंभीरता को देखते हुए काराधीन प्राथमिकी अभियुक्त ज्ञानी उर्फ ज्ञानशरण को जमानत पर छोड़ना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अतः काराधीन प्राथमिकी अभियुक्त ज्ञानी उर्फ ज्ञानशरण की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित


न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी
उदाकिशुनगंज।